UPAZ010051802026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–3, आजमगढ़

उपस्थित– अजय श्रीवास्तव,(एच०जे०एस०)J.O.Code U.P. 2403

जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2134/2026

संजीत सिंह उम्र लगभग 38 साल पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम नेवादा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़। ---आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० सरकार ---विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–209/2026
धारा–318(4), 319(2), 316(5), 61(2) बी०एन०एस०
थाना–सिधारी, जनपद आजमगढ़

दिनांक–17.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्थानीय थाना सिधारी के मुकदमा संख्या–209/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 319(2), 316(5), 61(2) बी.एन.एस. के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो सुनवाई हेतु आज नियत है।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शुभम सिंह का शपथ पत्र दाखिल कर सशपथ कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थना में दिये गये सभी तथ्य उसकी जानकारी में सही व सच है न तो कोई बात झूठी है और न ही कोई बात छिपायी गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा प्रभू नारायण सिंह प्रभारी आबकारी निरीक्षक ने स्थानीय थाने पर इस आशय की तहरीर दी है कि वर्ष 2025–26 में ई–टेण्डर के माध्यम से राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम नि–ग्राम–नेवादा, थाना–कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को देशी शराब दुकान गुलामी का पुरा का आवंटन हुआ था। अनुज्ञापी द्वारा उक्त दुकान हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि का संदाय करने के उपरान्त दुकान के नियमानुसार संचालन हेतु अनुमन्य किया गया था। उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर विक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (उन्नीसवां सशोधन 2025 तक यथासंशोधित) में प्रावधान है कि ई–टेण्टर के माध्यम से लाइसेंसधारी के रूप में चयनित व्यक्ति को बेसिक लाइसेंस फीस और

Digitally signed by AJAY SRIVASTAVA
Date: 2026.06.17 13:44:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रत्तिभूति धनराशि राज्य सरकार द्वारा विनिर्निष्ट समय सारिणी एवं रीति के अनुसार जमा करना, तथा समस्त अन्य विनिर्दिष्ट औपचारिकतायें पूरी करना तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपयुक्त दुकान परिसर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। नियगावली के नियम–2 (प) में प्रावधान है कि प्रतिभूति धनराशि का तात्पर्य बेसिक लाइसेंस फीस को छोडकर लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बरावर धनराशि से है जो जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत ई–बैंक गारण्टी के रूप में अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा यथा विहित किसी अन्य लिखत के माध्यम से या किसी अन्य रीति से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तिम व्यवस्थापन के पश्चात वापस किये जाने योग्य होगी। श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा देशी शराब दुकान गुलामी का पुरा के लिए निर्धारित प्रतिभूति रु 2110500/– की धनराशि सावधि जमा रसीद (एफडीआर) के रूप में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा की गयी थी, जिसका विवरण निम्न है खाता संख्या दिनांक जमा धनराशि बैंक का नाम 699203030003432 13/06/2025 630000 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 699203030003439 19.06 2025 130000 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 99203030003443 23/06/2025 100000 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 699203030003467 04/07/2025 500000 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 699203030003473 05.07.2025 550500 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 699203030003477 10–07–2025 100000 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 699203030003479 11/07/2025 100000 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया Total– 2110500 श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा माह फरवरी 2026 में देशी शराब दुकान गुलामी का पुरा के लिए निर्धारित कोटे (एमजीक्यू) से कम मात्रा में देशी मदिरा का उठान किया गया था। कम उठान में सन्नहित कुल प्रतिफल शुल्क व कुल अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के समतुल्य धनराशि को जमा करने हेतु कलेक्टर / लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया, किन्तु अनुज्ञापी द्वारा उक्त सम्बन्ध में समयान्तर्गत न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया एवं न ही एमजीक्यू के सापेक्ष कम उठान में निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य धनराशि को राजकोष में जमा कर इसका चालान कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (उन्नीसवाँ संशोधन–2025 तक यथासंशोधित) के नियम–21 (च) में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस की मासिक किस्त या प्रतिभूति धनराशि में कमी की पूर्ति विहित अवधि में जमा करने में विफल रहता है तो उनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। तत्क्रम में यथाविहित प्रक्रिया के तहत कलेक्टर / लाइसेंस प्राधिकारी आजमगढ दद्वारा अपने आदेश दिनाक 31–03–2026 द्वारा उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उक्त नियमावली के नियम–21 (3) में यह प्रावधान है कि लाइसेंस निरस्त किये जाने की दशा में उसके द्वारा जमा की गई बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि

सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और लाइसेंसधारी कोई प्रतिकर या वापसी के दावे का हकदार न होगा। जिलाधिकारी महोदय के उक्त आदेश के अनुपालन में जिला आबकारी अधिकारी आजमगढ़ द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूत्ति के जब्तीकरण हेतु मुख्य शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कटघर, सदर जनपद आजमगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया। आबकारी अधिकारी आजमगढ़ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14–05–2026 के उत्तर में यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा कटघर सदर, जनपद आजमगढ़ के शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने पत्र दिनाक 16–05–2026 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा बैंक में सावधि जमाओं के रूप में जमा करायी गयी कुल धनराशि रू0 2110500/– में से सावधि जमा संख्या 699203030003432 द्वारा रू0 630000/– तथा 699203030003439 द्वारा रु0 130000/– को जमाकर्ता श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा बन्द कराया जा चुका है और दिनांक 10–02–2026 को किये गये उनके आग्रह के आधार पर श्री राजेन्द्र सिंह और श्री संजीत सिह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह नि ग्राम–नेवादा, थाना–कप्तानगंज जनपद–आजमगढ़ के संयुक्त खाते में उक्त दोनो सावधि जमाओं की धनराशि रू0 760000/– क्रेडिट की जा चुकी है। अपने पत्र के साथ शाखा प्रबन्धक द्वारा श्री संजीत सिंह का आवेदन पत्र भी संलग्न किया गया है, जिसमें श्री सजीत सिंह द्वारा उक्त दोनों सावधि जमाओं को तोडकर अपने खाते में पैसा भेजे जाने का आग्रह किया है। ध्यातव्य है कि श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा संचालित देशी शराब दुकान गुलामी का पुरा के लाइसेंस की अवधि दिनांक 31–03–2026 तक थी, परन्तु दुकान संचालन की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही अर्थात राजस्व देयताओं को न चुका पाने और उसके परिणामो से बचने के लिए श्री राजेन्द्र सिंह और सजीत सिंह द्वारा जानबूझकर उक्त कृत्य को कारित किया गया। इस कारण दुकान के निरस्तीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप सम्पूर्ण प्रतिभूति की धनराशि के जब्बीकरण के जिलाधिकारी महोदय के आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों तथा विधिक व्यवस्था के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा देशी शराब दुकान गुलामी का पुरा के संचालन हेतु उन्हें प्रदत्त एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए बाध्यकारी नियमों का पालन न करते हुए अपनी राजस्व देयतायें अदा नहीं की गयीं। यही नहीं राजस्व की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण प्रतिभूति की धनराशि रू0 2110500/– में से रू0 760000/– का बेईमानी से दुर्विनियोग कर उसे अपने उपयोग के लिए अपने खाते में क्रेडिट करा लिया गया। इस प्रकार उन्होंने राज्य के साथ की गयी अभिव्यक्त वैध संविदा का अतिक्रमण करके प्रतिभूति धनराशि में से रू0 760000/– बेईमानी से उपयोग किया। श्री राजेन्द्र सिंह तथा संजीत सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रतिभूति के रूप में जमा सावधि जमा संख्या–699203030003432 तथा 699203030003439 में निहित धनराशि 760000/– को कपटपूर्ण आशय से हडपने के लिए सावधि जमा रसीदों की छायाप्रतियों का प्रयोग कर बैंक से मिलीभगत करके उक्त धनराशि को अपने

खाते में अन्तरित करा लिया। राजेन्द्र सिंह द्वारा संजीत सिह के साथ मिलकर बेइमानी से रू० 760000/– की प्रतिभूति धनराशि को अपने उपयोग के लिए अपने चालू खाते में सपरिवर्तित करा लिया गया, जिसके बारे में राजकीय पदाधिकारियों का विश्वास था कि वह राजस्व की सुरक्षा के लिए है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। धारा 318(4) व 316(5) बी०एन०एस० एक साथ एक मुकदमें में नहीं चलेगा। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 316 (5) बी.एन.एस. नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त की उक्त अपराध में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। प्रार्थी को इस बात की जानकारी नहीं थी और न ही किसी ने अवगत कराया 7,60000 / रुपया अपने खाते में भेजने हेतु जो आवेदन दिया है उस पर कोई आपत्ति न तो बैंक द्वारा और न ही आबकारी विभाग द्वारा लगायी गयी है। प्रार्थी ने बिना किसी दुर्भावना के नेक नियती से 7,60000 / अपने खाते में मंगवाया है। जिलाधिकारी द्वारा लाइसेन्स जप्ती को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही जमा धनराशि सरकार के हक में जप्त करने के बावत कोई सूचना दी गयी है। रुपया 7,60000 / के सम्बन्ध में जो भी आदेश श्रीमान का होगा उसका अनुपालन करने के लिए प्रार्थी तैयार होगा। मुकदमा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, जमानत सम्बन्धी कोई प्रार्थना पत्र मा. उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है। उपरोक्त कारणों से आवेदक के जमानत पर रिहा होने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्रतिभूति के रूप में निहित धनराशि 7,60,000/– रूपये को कपटपूर्ण आशय से हडपने के लिए अपने खात में अन्तरित करा लिया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निराधार है, खारिज किया जाये।

जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन तथा उभय पक्षों को सुनने के उपरांत यह सुसंगत है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सह अभियुक्त के साथ मिलकर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्रतिभूति के रूप में निहित धनराशि 7,60,000/– रूपये

को कपटपूर्ण आशय से हडपने के लिए अपने खात में अन्तरित करा लिया गया है। जिला आबाकारी अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा इस आशय की आख्या दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11.06.2026 को चालान द्वारा 760000/– रूपया बकाया धनराशि को जमा कर चालान की प्रति कार्यालय में प्राप्त करा दी गयी है। अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध की सत्यता मामले में विचारण का विषय है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के इस स्तर पर गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त संजीत सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा,

2– दौरान विचारण अभियोजन साक्षीगण को भयभीत व प्रभावित नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,

3– न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्त स्वयं उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,

4–आवेदक/अभियुक्त सम्बन्धित मुकदमें में आरोप विरचन, अभियुक्त का बयान अभिलिखित किये जाने तथा बहस हेतु नियत तिथियों पर अथवा न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा,

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–17.06.2026

(अजय श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं०–3, आजमगढ़
J.O.Code U P 2403